

कार्यालय

पत्रांक: रिनु०/डी०डी०/फा०स०/मेरठ-१६(१)/**५१.**
सेवा मे,

उपनिदेशक

फायर

सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र।

दिनांक: **जून, 13** 2016,

प्रबन्धक,

मैसर्स आई केयर हॉस्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट,
द्वारा प्लाट न०-ई-३४० सेक्टर-२६ नौएडा

जनपद गौतमबुद्धनगर,

विषय: मैसर्स आई केयर हॉस्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट भवन द्वारा प्लाट न०-ई-३४० सेक्टर-२६ नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर
में निर्मित भवन (ए यूनिट ऑफ ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट) की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का 2016-2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण
प्रमाण

सन्दर्भ:
महोदय,

यूआईडी: 2016/21722/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/5209/डी०डी०

कृपया उपरोक्त विषयक आपके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर
वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध इस कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम से कराया गया तो उनके द्वारा
उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांकित: 27-05-2016 का मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर
संस्तुति आख्या दिनांक: 28-05-2016 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया जिसका विवरण निम्नवत
है:-

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण:- रिनु०/डी०डी०/फा०स०/मेरठ-१५(१)/५३४ दिनांक: 02-06-2015।
भवन की संरचना:

1- प्रश्नगत भवन का प्लाट एरिया-4000.00 वर्ग मीटर।

क्रमांक	नाम ब्लाक	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी०	प्रथम कवर्ड एरिया वर्ग मी०	द्वितीय कवर्ड एरिया वर्ग मी०	तृतीय कवर्ड एरिया वर्ग मी०	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया वर्ग मी०	जँचाई मी०
1	ब्लाक-ए०	261.606	32.076	-	-	-	08.00
2	ब्लाक-बी०	635.822	635.822	635.822	635.822	-	13.90
3	ब्लाक-सी०	314.159	309.534	309.534	-	383.248	11.90

भवन का अधिभोग एवं हजार्ड्स श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 के अनुसार इन्स्टीट्यूशनल भवन ग्रुप सी
श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45.00 मीटर रोड उपलब्ध है। तथा 04 अदद प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई-06.00 मीटर है।

2- सैटबैक:- प्रश्नगत भवन के सैटबैक अग्रभाग-09 मी० एवं चारों 06-06 मीटर उपलब्ध है जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखा जाय इसमें किसी प्रकार
का स्थाई/अस्थाई निर्माण मान्य नहीं होगा।

3- निकास मार्ग:- निर्मित भवन में 04 स्टेयरकेस निर्मित हैं, विगत वर्ष की आख्यानुसार चौड़ाई कमशः 1.50, 1.65, 1.30 एवं 1.35 मी० उपलब्ध है, जो
तत्समय प्रवृत्त प्राविधानों के अनुसार है तथा नौएडा प्राधिकरण के संस्थागत विभाग द्वारा संख्या: नौएडा/एजीएम (इस्टी)९७६ दिनांक: 05-05-2011 के
माध्यम से दिनांक: 14-10-1992 प्रभावी मानते हुये अनुमन्य किया गया। प्रश्नगत भवन विद्यमान श्रेणी के अन्तर्गत है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का
बदलाव नहीं किया गया है, स्टेयर (निकास मार्गों) की ट्रेवलिंग डिस्टेन्स मानकों के अनुरूप अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 के अनुसार निर्मांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ स्थापित हैं।

1- होजरील / डाउनकमर:- प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील, लैण्डिंग वाल्व मानकों के अनुसार स्थापित हैं।

2- टेरेस टैंक :-प्रश्नगत भवन में टेरेस पर 15,000 एवं 10,000 हजार लीटर पानी की क्षमता का टेरेस टैंक एवं इनके पास 450 एलपीएम क्षमता का
टेरिस पम्प स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।

3- भूमिगत टैंक:- प्रश्नगत भवन में समस्त टावरों की अग्निशमन व्यवस्था हेतु 1,00,000 लीटर का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार
स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाया गया।

4- फायर पम्प:- प्रश्नगत भूमिगत टैंक के पास 2280 एल०पी०एम० क्षमता का विद्युत चालित फायर पम्प व इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल
चालित फायर पम्प तथा 180 एल०पी०एम० का एक अदद जौकी पम्प स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।

(एच० एस० मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
सेवन परिषद

- 5- वेटराइजर: प्रश्नगत भवन के वेटराइजर मानकों के अनुसार स्थापित एवं पम्प रूम से संयोजित है।
- 6- प्राथमिक अग्नि शमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशन्सी) प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशन्स आई0एस0-2190 मानक के अनुसार स्थापित पाये गये।
- 7- आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत भवन के समस्त तलों पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 पार्ट-4 के मानकों के अनुरूप स्थापित पाया गया।
- 8- यार्ड हाईड्रेण्टस: प्रश्नगत भवन परिसर के चारों तरफ यार्ड हाईड्रेण्टस स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गये।
- 9- मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम: प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार स्थापित है।
- 10- आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम: प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम मानक के अनुसार स्थापित है।
- 11- एग्जिट साईनेज़:- प्रश्नगत भवन के सभी तलों पर एग्जिट साईनेज स्थापित पाये गये।
- 12- पी0ए0 सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित है।


अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर की आख्या के आधार पर प्रश्नगत भवन मैसर्स आई केयर हॉस्पिटल एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट भवन द्वारा प्लाट न0-ई-3ए0 सेक्टर-26 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित भवन (ए यूनिट ऑफ ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट) भवन का पत्र का 2016-2017 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1-भवन प्रबन्धक भवन में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाएं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जायें।
- 2-भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।
- 3-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।
- 4-भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 5-प्रत्येक छ: माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6-भवन में विद्युत सुरक्षा के सम्बन्ध में विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 7-वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव से अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।
- 9-उक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

प्रतिलिपि: 1-संयुक्त निदेशक (टी/एम) को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज-प्रथम जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


 (एच0एस0 मल्होत्रा)
 (एस0 मल्होत्रा)
 उपनिदेशक फायर सर्विस
 मरक प्रिक्षेत्र
 रस्ता निरदेशन